... विरुद्ध विप्रार्थी है। निषेधाज्ञा के सभी सिद्धान्त ... सन्तुलन, अपरिहार्य ... वादग्रस्त
...तारीख तक विप्रार्थीगण को अवैध एवं अनाधिक... यदि आगामी पेशी
दखल/हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है तो
विप्रार्थीगण को कोई हॉनि नही होगी इस प्रकार सुविधा
का सन्तुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्धान्त काबिज प्रार्थी
के हक/पक्ष मे ही विधयमान है। हमने वकील प्रार्थी की
एक पक्षीय बहस को सुना व मनन किया पत्रावली एवं
पत्रावली के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी दस्तावेज का
अवलोकन व अध्ययन किया चूँकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र से
संबंधित भूमि अपनी छोना बताकर वाद, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया है इस प्रकार प्रार्थी का इस स्तर पर प्रथम दृष्टया
मामला बनता है। यदि उक्त भूमि के रेकर्ड एवं मौके की
स्थिति मे आगामी तारीख तक परिर्वतन किया जाता है तो
प्रार्थी के उपयोग मे हस्तक्षेप किया जाता है तो प्रार्थीग
को असुविधा एवं अपूरर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थना पत्र
एवं वाद प्रस्तुत करने के बाद की रेकर्ड एवं मौके की
स्थिति मे परिर्वतन किया जाता है तो मुकदमेबाजी मे
बढोतरी होगी इस स्तर पर आरजी तौर पर न्यायहित मे
तीनो विन्दु आगामी पेशी तारीख तक विवादित भूमि के
रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने मे प्रार्थीगण के
पक्ष मे पाये जाते है।

अतः बाद उपरोक्त विवेचन न्यायहित मे प्रार्थी का
अंतरिम निवेदन स्वीकार कर आगामी सुनवाई तारीख तक
इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की
जाती है कि विप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र से संबधित विवादित
ख0न0 357 रकबा 23 बीघा 12 विस्वा, ख0न0 358 रकबा
बीघा 07 विस्वा, खरारा न0 308 रकबा 02 बीघा 12
विस्वा, खसरा न0 309 रकबा 20 बीघा 17 विस्वा मौजा
कानाना की उपरोक्त खसरान की भूमि के 1/4 हिस्से
की भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान न करें एवं रेकर्ड
व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी वकील
विप्रार्थीगण की तामिल हेतु नोटिस पेश करे। पत्रावली
दिनांक 21.10.2020 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) ...

21/10/20 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील
उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र

पेश कर उक्त अन्वान प्रकरण मे
लोक अदालत की भावना से
आपस मे राजीनामा हो गया है।
अतः प्रार्थना पत्र मे आगे कोई
आगे कोई कार्यवाही करना नही
चाहते है। अतः उक्त प्रकरण को
जरिये विड्रोल करना चाहते है।

हमने प्रार्थिया व प्रार्थिया वकील
को सुना प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र
को आपसी सहमति से राजीनामा
हो जाने के कारण उक्त प्रकरण
को विड्रोल खारिज स्वीकार किया
जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

x Raghunath Singh
रघुनाथ सिंह
21/10/2020
रघुनाथ सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Kumar
Date: 2020.11.06 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner